न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 06/2022

बउनवान

गुलाबबाई बेवा किशनलाल उम्र 65 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां **(प्रार्थीया)**

बनाम

1. श्री सियाराम मीणा, नायब तहसीलदार सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां
2. श्री शुभम बैरागी, हल्का पटवारी रायथल तहसील मांगरोल हाल निवासी सहकारी भवन सीसवाली के पीछे सीसवाली पोस्ट सीसवाली जिला बारां राज0
3. तहसीलदार मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां राज0 **(अप्रार्थीगण)**

प्रार्थनापत्र कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट
अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) सी.पी.सी.
(न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करने बाबत)

उपस्थिति :—1. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा, अभिभाषक **(प्रार्थी)**
2. पेरोकार सरकार **(अप्रार्थी कम 3)**

आदेश दिनांक— 23.02.2022

1— प्रार्थीया की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा दिनांक 15.12.2010 को निर्णय पारित किया कि, तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रायथल तहसील मांगरोल के खसरा नं. 260 रकबा 1.04 है0 मे से 0.33 है0 व खसरा नं0 259 रकबा 1.70 है0 जो माधो पुत्र किसना माली के खाते दर्ज है, उसमे से 0.47 है0 भूमि कम करके प्रार्थीया गुलाबबाई पत्नि किसनलाल जाति माली के खाते दर्ज करे व इसी प्रकार खसरा नं. 260 रकबा 1.04 है0 मे से 0.71 है0 व खसरा नं. 261 रकबा 0.59 है0 जो रामप्रसाद पुत्र रामनारायण धाकड के खाते दर्ज है उसमें से 0.09 है0 कम करके इस भूमि को मंगला पुत्र देवा कुम्हार के खाते दर्ज करे। इस प्रकार दोनो आवंटियो को 0.80—0.80 है0 भूमि हो जाती है। प्रार्थी के खाते में खसरा नं. 260 रकबा 0.33 है. व खसरा नं. 259 रकबा 0.47 है. भूमि दर्ज किया जाकर अमल दरामद करके निर्णय की पालना करना है। न्यायालय के निर्णय की पालना नही किये जाने पर अप्रार्थीगण का कृत्य कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत मानकर, अप्रार्थीगण को [illegible] सजा के आदेश प्रदान कर, निर्णय की पालना करवाकर, जुर्माना माफ किये जाने [illegible] आदेश प्रदान करने के संबंध में निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.24 12:10:45 IST
Reason: SelfAttested

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] अभिलेखागार से मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 1/2009 बउनवान [illegible]ला बनाम गुलाब [illegible] दिनांक 15.12.2010 प्राप्त की गई, तथा अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

3— अप्रार्थी कम 1 ने जवाब इस आशय का पेश किया कि उक्त निर्णय 10 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण अप्रार्थी कम 1 के संज्ञान में नही है। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2010 की पालना नही होने के संबंध में निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,

(भू0अ0) के आदेश कमांक 3654 दिनांक 29.06.2018 से आदेशित किया कि DILRMP के
अधिसूचना जारी करवाने हेतु प्रस्ताव तत्काल राज्य सरकार को भिजवाये जाने है। अतः दि
02.07.2018 से तहसील ऑनलाईन होने तक तहसील क्षेत्र में नामातरण दर्ज/स्वीकृत
जाने की प्रक्रिया को रोका जावें। न्यायालय के निर्णय/डिक्री की पालना हेतु संबंधित पक्ष
को न्यायालय में ही इजराय प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक होता है। उक्त इजराय प्रा
पत्र के आधार पर न्यायालय की ओर से डिक्री पालना हेतू पत्र जारी किया जाता है। इसी
अनुसरण में तहसील द्वारा पालना की जाती है। प्रार्थीया द्वारा बिना इजराय पेश किये
विरूद्ध तरीके से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो अस्वीकार है। इजराय प्रार्थना प
अभाव में पालना नही की गई है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र ख
किया जावे।

4— अप्रार्थी क्रम 2 बावजूद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी क्रम 3 जर्ये पेर
सरकार उपस्थित आये।

5— हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया एवं पेरोकार सरकार की
दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किय
न्यायालय श्रीमान के प्रकरण संख्या 1/2009 निर्णय दिनांक 15.12.2010 बउनवान मंगला
गुलाब मे पारित निर्णय की पालना अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने जानबूझकर नही की। अतः क
ऑफ कोर्ट के तहत 3 माह की सजा देने का, निर्णय की पालना कराये जाने का तथा ज
माफ किये जाने का आदेश प्रदान करे।

6— दोराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि DILRMP के कार्य तथा नाम
दर्ज/स्वीकृत किये जाने से रोकने के संबंध में उच्चाधिकारियो के निर्देश की पालना में प्र
का नामांतरण दर्ज नही किया जा सका। अतः अप्रार्थीगण द्वारा मात्र उच्चाधिकारियो के
की पालना में ही ऐसी त्रुटि हुई है, जो क्षमा योग्य है।

7— हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया एवं पेरोकार सरकार पर मनन
तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जिससे अवगत हुआ कि प्रक
न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 1/2009 बउनवान मंगला बनाम गुलाबबाई में पारित
दिनांक 15.12.2010 अनुसार दोनो आवंटिया कि समस्या के निराकरण हेतु प्रकरण में
निर्णय की पालना किया जाना आवश्यक था। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा DILRMP कार्य हे
कारण नामांतरण दर्ज/स्वीकृत नही किया गया है। चूकि ऐसा किया जाना तकनीकी का
उचित नही था। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना
समझते है।

8— परिणाम स्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थीया आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार म
को निर्देश दिये जाते है कि प्रा[illegible]पालना कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र एवं निर्णय
15.12.2010 की प्रति[illegible] किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश
तो पालना किया जाना सुनिश्चित [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.24 12:10:45 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23.02.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाक
न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

(नरेन्द्र गुप
जिला कलक्टर
बारां (राज